



आयकर विभाग  
भारत सरकार

एफ. नं. डीजीआईटी(एस)/सीपीसी(टीडीएस)/डीसीआईटी/15जीएच/2016-17

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड  
आयकर निदेशालय (पद्धति)  
नई दिल्ली

अधिसूचना सं. 10/2016

नई दिल्ली 31 अगस्त, 2016

**विषय : 15छ/15ज घोषणाओं की त्रैमासिक प्रस्तुति के लिए नियत तिथि का विस्तारण**

- 01.04.2016 से अदाताओं द्वारा प्राप्त 15छ/15ज घोषणाओं की त्रैमासिक प्रस्तुति के लिए नियत तिथि तथा 01.10.2015 से 31.03.2016 तक की अवधि के दौरान अदाताओं द्वारा प्राप्त प्रपत्र 15छ/15ज के साथ व्यवहार करने के तरीके को एफ. नं. डीजीआईटी(एस)/सीपीसी(टीडीएस)/डीजीआईटी/15छज/2016-17/4539 के द्वारा अधिसूचना सं. 9/2016 दिनांक 9 जून, 2016 में निर्दिष्ट किया गया है।
- इस संबंध में, 31.12.2015 से 31.03.2016 की अवधि के दौरान प्राप्त प्रपत्र 15छ/15ज की अपलोडिंग के लिए नियत तिथि के विस्तारण के लिए तथा साथ ही 01.04.2016 से बाद की अवधि के दौरान प्राप्त प्रपत्र 15छ/15ज की अपलोडिंग के लिए नियत तिथि को भी बढ़ाने का अनुरोध है।
- शेयरधारकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, प्रपत्र 15छ/15ज की अपलोडिंग के लिए नियत तिथि को निम्नानुसार बढ़ाया गया है :

क्र.सं.	परिदृश्य	मूल नियत तिथि	विस्तारित नियत तिथि
1	01.10.2015 से 31.03.2016 तक की अवधि के दौरान प्राप्त प्रपत्र 15छ/15ज	30.06.2016	31.10.2016
2	01.04.2016 से 30.06.2016 तक की अवधि के दौरान प्राप्त प्रपत्र 15छ/15ज घोषणाएं	15.07.2016	31.10.2016

3	01.07.2016 से 30.09.2016 तक की अवधि के दौरान प्राप्त प्रपत्र 15छ/15ज घोषणाएं	15.10.2016	31.12.2016
---	---	------------	------------

4. वित्त वर्ष 2016-17 की तीसरी व चौथी तिमाही के लिए 15छ/15ज घोषणाओं की प्रस्तुति के लिए नियत तिथि वही रहेगी जैसा उक्त पैरा 1 में संदर्भित अधिसूचना में निर्दिष्ट है।

(पीएस. थुङ्गालेंग)

उप आयकर आयुक्त (सीपीसी-टीडीएस)

प्रधान आयकर महानिदेशक कार्यालय (पद्धति)

निम्न को प्रति :

1. पीपीएस से अध्यक्ष तथा सदस्य, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
2. समस्त मुख्य आयुक्त/आयकर महानिदेशक/आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त (आईडीएस), अपने क्षेत्र/प्रभागों के बीच वितरित करने के अनुरोध के साथ
3. संयुक्त सचिव (टीपीएल)-I व II/मीडिया समन्वयक तथा आधिकारिक प्रवक्ता, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
4. डीआईटी(आईटी)/ डीआईटी(संपरीक्षा)/ डीआईटी(सर्तकता)/ एडीजी(पद्धति)1, 2, 3, 4, 5/ एडीजी(टीडीएस)/ आयकर आयुक्त(सीपीसी-आईटीआर), बेंगलूरु, आयकर आयुक्त(सीपीसी-टीडीएस) गाजियाबाद
5. अधिसूचना के लिए विज्ञापन अभियान के लिए अनुरोध के साथ एडीजी (पीआर, पीपी व ओएल)
6. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के टीपीएल तथा आईटीए प्रभाग
7. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली
8. वेबसाइट पर प्रकाशित करने के लिए वैब मैनेजर, incometaxindia.gov.in
9. www.irs-officeronline.gov.in पर अपलोडिंग के लिए डाटाबेस प्रकोष्ठ तथा डीजीआईटी (पद्धति) कॉर्नर
10. आईटीबीए पोर्टल पर अपलोडिंग के लिए आईटीबीए प्रकाशक

(पीएस. थुङ्गालेंग)

उप आयकर आयुक्त (सीपीसी-टीडीएस)

प्रधान आयकर महानिदेशक कार्यालय (पद्धति)